

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 08/12/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री दीन बंधु सिंह, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2025 को पूर्वाह्न 11:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नॉमिनी, 23/09/2008 के पत्र के अनुसार)।
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
4. श्री विवेक कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री किरण मोहन मोहाडीकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) आमिर इकबाल, सहायक विकास आयुक्त और (iv) भारत भूषण, सहायक भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 26/11/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 26/11/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ और न ही कोई आपत्ति प्राप्त हुई है। अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 26/11/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ज़ीकेबी ऑप्टिकल्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करना।

2.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रथमेश खंडेलवाल अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि प्रस्तावित परियोजना में आवेदक ने उल्लेख किया है कि "वे दृष्टि सुधार और फैशन ऑप्टिक्स की आवश्यकता वाली विशाल भारतीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं", जो एसईजेड योजना की मूल भावना के विरुद्ध है। अनुमोदन समिति

ने यह भी देखा कि आवेदक की पहले से ही एनएसईजेड में कार्यरत दो मौजूदा इकाइयाँ (सिस्टर कंसर्न) हैं।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, साथ ही आवेदक को यह निर्देश दिया कि वह एनएसईजेड में नई तृतीय इकाई स्थापित करने के औचित्य सहित संशोधित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(3) इम्पैक्ट QA सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – निदेशकों और शेयरधारक स्वरूप में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की समीक्षा की और यह नोट किया कि इकाई ने प्रथम ब्लॉक (30.01.2020-29.01.2025) के दौरान एपीआर (APRs) वर्ष 2023-24 तक के आधार पर सकारात्मक एनएफई (Positive NFE Earnings) अर्जित किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि दिनांक 31.03.2024 तक कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं दर्शाई गई है।[1]

3.2 अनुमोदन समिति ने आगे यह अवलोकन किया कि प्रस्तुत एपीआर के अनुसार इकाई ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान 1111.89 लाख रुपये मूल्य की सेवाओं की डीटीए (DTA) बिक्री की है और उनके लिए भुगतान भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त हुआ है, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) का उल्लंघन है। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन की सूचना दो वर्ष पश्चात दी है, जो बॉन्ड-कम-एल्यूटी (Bond-cum-LUT) की शर्त संख्या 14 का उल्लंघन है।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत इकाई के विरुद्ध एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) तथा बॉन्ड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 14 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश दिए।

(4) पी मित्तल मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों और शेयरधारक स्वरूप में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की समीक्षा की और नोट किया कि इकाई ने प्रथम ब्लॉक (26.08.2020-25.08.2025) के दौरान एपीआर वर्ष 2024-25 तक के आधार पर सकारात्मक एनएफई अर्जित किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि दिनांक 31.03.2025 तक कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं दर्शाई गई है।

4.2 अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि इकाई ने निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन की सूचना समय पर नहीं दी है, जो बॉन्ड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 14 का उल्लंघन है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत बॉन्ड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 14 के उल्लंघन के लिए इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

(5) नारायण एक्सपोर्ट्स – स्वीकृति पत्र (LOA) का स्थानांतरण और उसके बाद नाम/संघटन बदलकर “मैसर्स नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड” (एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी) करना।

5.1 श्री विपिन अग्रवाल, साझेदार तथा श्री गजेन्द्र गौतम एवं श्री विनीत कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति ने अवलोकन किया कि मैसर्स Narayan Exports (एक साझेदारी फर्म) और मैसर्स Narayan Industries Global Ltd. (एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी) दो पृथक कंपनियाँ हैं। साथ ही, एसईजेड नियमों में एलओए (LOA) के स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तथा मैसर्स Narayan Industries Global Ltd. को पहले नई इकाई के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया तथा उसके बाद वर्तमान इकाई नियम 74A के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं देनदारियों (assets & liabilities) के ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकती है।

(6) कॉर्बस इंडिया LLP – इकाई द्वारा निकास अनुरोध के मद्देनजर प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2024-25 तक के एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की समीक्षा की और नोट किया कि इकाई ने पिछले ब्लॉक (01.04.2022-31.03.2027) के दौरान, सकारात्मक एनएफई अर्जित किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि दिनांक 31.03.2025 तक कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं दर्शाई गई है।

6.2 अनुमोदन समिति ने आगे अवलोकन किया कि प्रस्तुत एपीआर के अनुसार इकाई ने पिछले ब्लॉक में 640.17 लाख रुपये मूल्य की सेवाओं की डीटीए बिक्री की है और उनके लिए भुगतान भारतीय रुपये (INR) में प्राप्त हुआ है, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) का उल्लंघन है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत इकाई के विरुद्ध एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z)(iii) के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

(7) ओरिएंट इंटरनेशनल – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, साझेदारी एवं लाभ/हानि शेयर अनुपात में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने अवलोकन किया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत एपीआर के अनुसार 838.74 लाख रुपये मूल्य की निर्यात प्राप्ति लंबित (pending for realization) दर्शाई गई हैं। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन की सूचना समय पर नहीं दी है, जो बॉन्ड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 14 का उल्लंघन है।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्तावित अधिकृत कार्यों (authorized operations) के लिए एलओए की वैधता 3 माह, अर्थात 20.03.2026 तक, नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई के विरुद्ध बॉन्ड-कम-एल्यूटी की शर्त संख्या 14 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति की स्थिति प्राप्त की जाए तथा एलओए के आगे के नवीनीकरण हेतु इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की जाए।

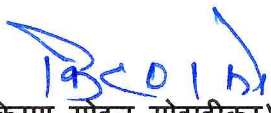
(8) वेंचुरा इलेक्ट्रिकल हिंदुस्तान लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, निदेशकों/शेयरधारक स्वरूप में बदलाव और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 श्री इंद्रजीत सिंह गुलाटी और श्री मयंक, इकाई के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव समझाया। श्री गुलाटी ने बताया कि, कोविड के कारण, उनके एक मुख्य भागीदार का निधन हो गया था और, इसके परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल में बदलाव हुआ। इसके अलावा, मेटल हाई मास्ट लैंप से LED लैंप की ओर बाजार के रुझानों में बदलाव के कारण, उन्हें अपने व्यवसाय प्रस्ताव को संशोधित करना पड़ा। इन कारणों से, उनकी निर्यात गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और वे समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सके।

8.2 अनुमोदन समिति ने अवलोकन किया कि एलओए की वैधता जून 2022 में समाप्त हो चुकी है। तथापि, यद्यपि उत्तर (reply) दाखिल करने में विलंब हुआ है, फिर भी इस कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों/प्रश्नों तथा इकाई द्वारा दिए गए उत्तरों के संदर्भ में लगातार पत्राचार होता रहा है।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्तावित अधिकृत कार्यों के लिए वर्तमान पाँच वर्षीय ब्लॉक की शेष अवधि अर्थात 14.12.2026 तक, एलओए का नवीनीकरण अनुमोदित कर दिया। अनुमोदन समिति ने इंस्ट्रक्शन नंबर 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के निदेशकों एवं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन को इस शर्त के साथ कि रकार्ड पर ले लिया कि पहले इकाई कंपनी की पूर्ववर्ती शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण प्रस्तुत करेगी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त


(दीन बधु सिंह)
विकास आयुक्त